लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 278

02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग

278. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देखा है कि इनवेस्टमेंट इन्फोर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) ने राजस्व और मार्जिन में अनुमानित गिरावट के साथ-साथ भारतीय परिधान निर्यात उद्योग के लिए दृष्टिकोण को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है और यदि हां, तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) भारत में समग्र वस्त्र उद्योग, विशेषकर छोटे और मध्यम निर्यातकों को अमेरिकी टैरिफ के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में भारत के प्रमुख वस्त्र निर्यात केंद्रों जैसे तिरुपुर, करूर, इरोड, कोयम्बटूर और सलेम को राहत प्रदान करने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं, जो निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं और टैरिफ के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): मंत्रालय संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य देशों को हस्तशिल्प सहित, वस्त्र एवं अपैरल के भारत के निर्यात की नियमित निगरानी कर रहा है और प्रमुख वस्त्र सेगमेंट पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव की ट्रैकिंग कर रहा है। अप्रैल से सितंबर, 2025 तक वस्त्र सेक्टर में निर्यात का विवरण नीचे दिए अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सेक्टर के निर्यात प्रदर्शन में स्थिरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

भारत का ग्लोबल वस्त्र और अपैरल जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट भी शामिल है (मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)							
	यूएसए को निर्यात		**शेष विश्व को निर्यात**		**वैश्विक निर्यात**		
मदें	**अप्रै.-सितं. 2024**	**अप्रै.-सितं. 2025**	**अप्रै.-सितं. 2024**	**अप्रै.-सितं. 2025**	**अप्रै.-सितं. 2024**	**अप्रै.-सितं. 2025**	**वृद्धि % में**
हस्तशिल्प सहित कुल टीएंडए	5361.85	5224.16	12858.69	13011.27	18220.54	18235.44	0.1%

स्रोत- डीजीसीआईएस

हस्तशिल्प सहित वस्त्र एवं अपैरल का भारत का निर्यात अप्रैल–सितंबर 2025 के दौरान 18,235.44 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि (18,220.54 मिलियन अमरीकी डॉलर) की तुलना में 0.1% की मामूली लेकिन सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।

इसके अलावा, तमिलनाडु से वस्त्र एवं अपैरल, हस्तशिल्प सहित, का निर्यात इस प्रकार है:

मदें	**अप्रैल-सितम्बर 2024**	**अप्रैल -सितम्बर 2025**	**% विकास**
कुल हस्तशिल्प सहित टीएंडए	3975.04	4078.06	2.6%

स्रोत: डीजीसीआईएस (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

तिरुपुर, करूर, इरोड, कोयंबटूर और सलेम से वस्त्र एवं अपैरल (हस्तशिल्प सहित) का कुल निर्यात अप्रैल–सितंबर 2025 की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.4% की वृद्धि दर्शाता है।

मंत्रालय भारत के वस्त्र एवं अपैरल निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव और अन्य चुनौतियों का आकलन करने हेतु एमएसएमई सहित निर्यातकों के साथ नियमित परामर्श कर रहा है। मंत्रालय ने वस्त्र एवं अपैरल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों से बड़े तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) वस्त्र निर्यातकों के साथ दो व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित की हैं।

सरकार भारतीय वस्त्र एवं अपैरल सेक्टर को बढ़ावा देने और देश से इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाएँ/पहलें लागू कर रही है, और ये कदम देश से, जिसमें तमिलनाडु (सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक राज्य) और इसके प्रमुख क्लस्टर शामिल हैं, से निर्यात को बढ़ा रहे हैं।

(1) प्रमुख योजनाएँ/पहलों में शामिल हैं: पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना, जो आधुनिक, एकीकृत, विश्वस्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाने हेतु है; उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जो एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्र पर केंद्रित है ताकि बड़े पैमाने पर विनिर्माण और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके; नेशनल तकनीकी वस्त्र मिशन, जो अनुसंधान, नवाचार एवं विकास, प्रचार और बाजार विकास पर केंद्रित है; समर्थ– वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना जिसका उद्देश्य मांग आधारित, रोजगार-उन्मुख कौशल प्रोग्राम प्रदान करना है; सिल्क समग्र-2, जो सेरीकल्चर मूल्य श्रृंखला व्यापक विकास के लिए है; राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, जो हथकरघा क्षेत्र के लिए एंड-टू-एंड सहायता देता है। वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

(2) वस्त्र सेक्टर में अनिवार्य क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) के अंतर्गत आने वाले इनपुट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन योजना के तहत एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन (ईओ) अवधि को छह (6) माह से बढ़ाकर अठारह (18) माह कर दिया गया है।

(3) सरकार ने एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल वस्त्र उत्पादों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में उद्योग चुनौतियों का समाधान करने, व्यवसाय सुगमता बढ़ाने और क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख संशोधन किए हैं। संशोधनों में पात्र उत्पादों के विस्तार, नई कंपनियाँ स्थापित करने से छूट, न्यूनतम निवेश सीमा में कमी और वृद्धिशील टर्नओवर मानदंडों में कमी शामिल है। संशोधन का उद्देश्य प्रवेश बाधाओं और वित्तीय आवश्यकताओं को कम करना है, जिससे तेज निष्पादन संभव हो सके।

(4) सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए इनपुट लागतों को कम करने, पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार करने और समग्र उद्योग की दक्षता बढ़ाने हेतु एचएस 5201 के अंतर्गत कपास पर 31.12.2025 तक आयात शुल्क माफ कर दिया है। यह कदम तमिलनाडु के कपास आधारित वस्त्र निर्यात उद्योग, विशेष रूप से तिरुपुर के लिए अत्यंत उपयोगी होने की उम्मीद है।

(5) सरकार ने वस्त्र मूल्य श्रृंखला में संरचनात्मक विसंगतियों को दूर करने, लागत घटाने, मांग बढ़ाने, निर्यात को समर्थन देने और रोजगार बनाए रखने हेतु जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाया है।

(6) सरकार परिधान/गारमेंट और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्र करों और लेवी की रिबेट (आरओएससीटीएल) योजना को शून्य-रेटेड निर्यात सिद्धांत अपनाकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु लागू कर रही है। इसके अतिरिक्त, जो वस्त्र और अन्य उत्पाद आरओएससीटीएल योजना में शामिल नहीं हैं, वे निर्यातित उत्पादों संबंधी ड्यूटी एवं टैक्स रिमिशन (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत कवर किया गया है।

आरओएससीटीएल के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 15,000 से अधिक निर्यातकों को एम्बेडेड टैक्स पर रिबेट का लाभ मिला है।

(7) आरओडीटीईपी योजना को बड़े और छोटे पैमाने के निर्यातकों को निरंतर सहायता देने हेतु 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

(8) भारत ने 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत–यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) भी शामिल है, जिस पर 24 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षर किए गए। इन एफटीए का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है ताकि भारतीय निर्यातक साझेदार बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

(9) इसके अलावा, मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र निर्यात के लिए उच्च क्षमता वाले वैश्विक गंतव्यों की पहचान करते हुए 40-देशों की एक व्यापक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन रणनीति तैयार की है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स (ईपीसी), उद्योग प्रतिनिधिमंडलों, और विदेशों में भारतीय मिशनों के समन्वित प्रयासों द्वारा समर्थित इन बाजारों में संरचित और लक्षित पहुँच का उद्देश्य बाजार एकाग्रता जोखिमों को कम करना, भारत के निर्यात हिस्से को बढ़ाना, और भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक अधिक लचीली और टिकाऊ वैश्विक उपस्थिति स्थापित करना है।

(10) सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंजूरी दी है, जिसके तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को पात्र निर्यातकों, जिसमें एमएसएमई शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज देगा। योजना का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नए एवं उभरते बाजारों में विविधीकरण का समर्थन करना है।

(11) सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी है, जो वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य प्रमुख हितधारकों—जिनमें वित्तीय संस्थान, निर्यात संवर्धन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड्स, उद्योग संघ और राज्य सरकारें शामिल हैं—को सम्मिलित करने वाले सहयोगात्मक ढाँचे पर आधारित है।

योजना का **निर्यात प्रोत्साहन** घटक एमएसएमई के लिए किफायती ट्रेड फाइनेंस तक पहुँच में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें ब्याज सबवेंशन, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड, और नए बाजारों में विविधीकरण हेतु क्रेडिट वृद्धि समर्थन जैसे उपकरण शामिल हैं।

निर्यात दिशा घटक बाजार तैयारी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले गैर-वित्तीय कारकों पर केंद्रित है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ट्रेड फेयर में भागीदारी हेतु सहायता, निर्यात वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, इनलैंड ट्रांसपोर्ट प्रतिपूर्ति, और ट्रेड इंटेलिजेंस एवं क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं। ईपीएम ब्याज समानिकरण योजना (आईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी प्रमुख निर्यात सहायता योजनाओं को एकीकृत करता है और उन्हें समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के अनुरूप ढालता है।

***